भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *52

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नल से जल और स्वच्छता संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवीन कार्यनीतियां

***52. श्री विजय बघेलः**

श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उन्नत प्रौद्योगिकियों और कुशल जल प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी की समस्या का समाधान करने सहित नल से जल और स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई/अपनाई जा रही नवीन कार्यनीतियों का छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या परिणाम रहे हैं:

(ख) पानी के अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में सतत भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करते हुए सरकार की जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार का जल और स्वच्छता परियोजनाओं के मूल्यांकन में स्वतंत्र निकायों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो निगरानी और प्रगति का आंकलन करने में उनकी भूमिका और योगदान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित देश में नल से जल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी किस प्रकार कर रही है तथा दिल्ली में पानी के गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुपालन के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) दीर्घकालिक सततता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से जल संकट से ग्रस्त क्षेत्रों में, जल संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार के पास जल स्रोतों पर औद्योगिक कचरे के प्रभाव की निगरानी करने, सख्त प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को लागू करने और पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री विजय बघेल और श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा पूछे गए नल से जल और स्वच्छता संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवीन कार्यनीतियां के संबंध में 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *52 के संबंध में भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता की और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। भारत सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। शहरी क्षेत्रों के लिए, 25.06.2015 को शुरू किया गया कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), पानी के लिए सार्वभौमिक घरेलू पहुंच सुनिश्चित करने और सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है। जल जीवन मिशन (शहरी) को बाद में 2021-26 की अवधि के लिए 01.10.2021 को अमृत 2.0 के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित बनाना था।

स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत शौचालयों, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टिक टैंक आदि जैसी अनिवार्य स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नवीन कार्यनीतियों और उन्नत तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। भूजल स्रोतों के चिह्नित के लिए एचजीएम मानचित्रों के उपयोग, मौजूदा जल स्रोतों का पता लगाने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी और जल वितरण के अनुकूलन के लिए आईओटी-आधारित निगरानी प्रणाली सहित कई उपायों को लागू किया गया है। ये तकनीकी प्रगति वास्तविक समय आधार पर निगरानी, रिसाव का पता लगाने और कुशल जल आपूर्ति प्रबंधन को संभव बनाती है। छत्तीसगढ़ सहित गंभीर जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों में, सरकार ने जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान और अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, कृषि में पानी की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं, ताकि पानी का स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अमृत 2.0 का एक प्रमुख घटक प्रौद्योगिकी उप-मिशन है, जो स्टार्ट-अप और निजी उद्यमियों को जल उपचार, वितरण और जल निकाय कायाकल्प के लिए अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल समाधान विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

(ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांश दिया जाता है

और ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने की स्कीमें शुरू करते समय गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और निगरानी के लिए सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, 04.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,165 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आम जनता के लिए नाममात्र दर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं। जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आवधिक आधार पर अर्थात रासायनिक और भौतिक मापदंडों हेतु वर्ष में एक बार और जीवाणु संबंधी मानदंडों के लिए वर्ष में दो बार जल गुणवत्ता का परीक्षण करें और जहां आवश्यक हो, वहां उपचारात्मक कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है। डब्लूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल वायल का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को प्राथमिकता देकर 5 व्यक्तियों का चिह्निन करें और प्रशिक्षित करें तथा डब्लूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

जल शक्ति अभियान - कैच द रेन अभियान, इसके विभिन्न संस्करणों में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है। इसके अलावा, जेएसए के तहत एक विशेष पहल जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी): सीटीआर 6 सितंबर, 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और कम लागत, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे स्थानीय समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं को जेजेएम प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहित/सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार 7 राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8,213 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) में अटल भूजल योजना भी कार्यान्वित कर रही है ताकि खेतों में जल की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाई जा सके और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सके, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार किया जा सके, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं आदि को शुरू करना आदि।

(ग) और (घ) जेजेएम के प्रचालन दिशानिर्देश डीडीडब्ल्यूएस को नियमित कार्यक्षमता मूल्यांकन, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, डीडीडब्ल्यूएस खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तीसरे पक्ष को शॉर्टलिस्ट करता है। ऐसे आंकलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के संबंध में नमूनों की कार्यक्षमता के आधार पर कार्यक्षमता अंक दिए जाते हैं। इन रिपोर्टों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है ताकि नल कनेक्शनों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मध्यावधि सुधार हेतु उपाय किए जा सकें। राज्यों में अमृत के अंतर्गत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) की स्थापना का प्रावधान है। स्वच्छता के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी), एक तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से, मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), जैवक्षरणीय और गैर-जैवक्षरणीय अपशिष्ट प्रबंधन, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट (जीडब्ल्यूएम) सहित घरेलू स्वच्छता मापदंडों का आंकलन करने के लिए किया जाता है।

इन कार्यक्रमों जैसे जेजेएम के लिए जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कार्यक्रम के तहत प्रगति की निगरानी के लिए एसबीएम (जी) के लिए अलग डैशबोर्ड जैसे कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन निगरानी का तंत्र भी मौजूद है। इसी तरह, अमृत और एसबीएम (यू) के तहत क्रमशः छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित शहरी क्षेत्रों में जल और स्वच्छता परियोजनाओं की निगरानी के लिए डैशबोर्ड मौजूद हैं। साथ ही, इन स्कीमों की प्रगति की नियमित बैठकों, कार्यशालाओं, स्थल दौरों आदि के माध्यम से समीक्षा और निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अमृत के अंतर्गत दिल्ली में जल शोधन संयंत्र के सृजन सहित जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत जल आपूर्ति परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ङ) जेजेएम प्रचालन दिशानिर्देश *अन्य बातों के साथ-साथ* नियोजन, प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और गांव में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की स्थिरता में समुदाय की भूमिका पर जोर देते हैं। ग्राम पंचायत अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि को कम से कम 50% महिला सदस्यों के साथ गांव में जल आपूर्ति का संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत और/अथवा इसकी उप-समिति, अर्थात् वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह, आदि को भी 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान, संग्रह शुल्क आदि सहित विभिन्न स्रोतों से ओ एंड एम के लिए धन प्राप्त करने के लिए खाता खोलने का अधिकार है। विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) ने देश के 256 जल-संकट वाले जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में जुलाई-नवंबर 2019 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध, मिशन मोड जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। कोविड महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2020 में जल शक्ति अभियान शुरू नहीं किया जा सका। जल शक्ति मंत्रालय ने 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) को कैच द रेन अभियान में शामिल किया, जिसमें देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था। जेएसए: सीटीआर अभियान में पांच केंद्रित हस्तक्षेप हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण शामिल हैं। जेएसए: सीटीआर 2021 से एक वार्षिक विशेषता बन गई है और जेएसए का 5वां संस्करण: सीटीआर देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉक और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 09.03.2024 से 30.11.2024 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 09.03.2024 को लॉन्च किया गया था।

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की भागीदारी: लॉक-डाउन में ढील के बाद, एनवाईकेएस (नेहरू युवा केंद्र संगठन) के सहयोग से "जेएसए-कैच द रेन" जागरूकता सृजन अभियान 21 दिसंबर, 2020 को संयुक्त रूप से जल शक्ति मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया था। एनवाईकेएस तब से देश के 623 जिलों में जागरूकता सृजन अभियान कार्यान्वित कर रहा है।

इस विज़न को विस्तार देते हुए, **जल संचय जन भागीदारी (जेएसएजेबी)** पहल 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में माननीय प्रधान मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में शुरू की गई थी। जेएसए: सीटीआर के तहत इस विशेष पहल का उद्देश्य देश भर में गुजरात के **जल संचय** कार्यक्रम को बढ़ावा देना है, जो सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता है। जेएसजेबी का लक्ष्य **वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और पारंपरिक तरीकों** के संयोजन का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण भारत में **दस लाख कम लागत वाली रिचार्ज संरचनाएं** बनाना है। यह पहल स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करके सक्रिय भागीदारी और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है जो न केवल मनरेगा, अमृत, पीएमकेएसवाई आदि जैसी सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त करता है, बल्कि लोगों की भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता के लिए उद्योग - सीएसआर, परोपकार, व्यक्तिगत दाताओं, क्राउडफंडिंग आदि जैसे निजी वित्त को जुटाने से भी धन प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एफएक्यू के रूप में भूजल संवर्धन के कृत्रिम पुनर्भरण की सरल और व्यावहारिक पद्धतियां शीर्षक से एक मार्गदर्शन दस्तावेज विकसित किया है। इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

जल संचय डैशबोर्ड के माध्यम से एक निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी स्थापित किया गया है, जो पुनर्भरण संरचनाओं के भू-टैग किए गए स्थानों के साथ प्रगति को ट्रैक करता है। केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल संवर्धन प्रयासों में सुधार करने के लिए पुनर्भरण संरचनाओं के सृजन और नवीकरण के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8,213 जल संकट ग्राम पंचायतों (जीपी) में अटल भूजल योजना लागू कर रही है। यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की ओर एक व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है। "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" खेत पर पानी की वास्तविक उपलबधता बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं आदि को शुरू करने के उद्देश्य से लागू की गई है। पीएमकेएसवाई के तीन घटक/योजनाएं हैं, जिनमें हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर) योजना और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना शामिल हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधादाता के रूप में कार्य करने हेतु 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की है। ताप विद्युत संयंत्रों, कपड़ा, लुगदी एवं कागज और इस्पात उद्योग जैसे कुछ जल विशिष्ठ उद्योगों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए, एनडब्ल्यूएम ने जून, 2016 में **टेरी** को "भारत में औद्योगिक जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सहायक नीति के लिए बेंचमार्किंग औद्योगिक जल उपयोग" के **संबंध में एक बेंचमार्किंग अध्ययन** प्रदान किया है। यह अध्ययन चुनिंदा जल विशिष्ठ उद्योगों (अर्थात् तापीय ऊर्जा संयंत्र, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग और पल्प एंड पेपर) में पानी की खपत को कम करने के अवसरों की पहचान करने और संबंधित बेंचमार्क में जल उपयोग प्रथाओं पर दृष्टि डालता है। टेरी ने अध्ययन पूरा कर लिया है और विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने विश्व बैंक के सहयोग से सिंचाई दक्षता और फसल जल उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश में वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु सहायता (एसआईएमपी) शुरू की है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने सूचित किया है कि वह वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(च) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, *अन्य बातों के साथ-*

साथ, उद्योगों से भू-द्रव्यमानों/जल निकायों, प्रचालनों अथवा प्रक्रियाओं में बहिस्त्रावों के लिए मानकों का निरूपण और अधिसूचना शामिल है; सहमति तंत्र के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा इन मानकों को लागू करना स्थापित/प्रचालित और नियमित निगरानी के लिए; जल गुणवत्ता के आंकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना/राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी); जल निकायों में अपशिष्ट के प्रत्यक्ष रिसाव की जांच के लिए ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना; स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना; शहरों में सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना; लघु औद्योगिक इकाइयों आदि के क्लस्टर के लिए साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, अपशिष्ट उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे को तीन अलग-अलग धाराओं में अलग करना और भंडारण करना अनिवार्य है, अर्थात् बायो-जैवक्षरणीय, गैर-जैवक्षरणीय और घरेलू खतरनाक कचरे को उपयुक्त डिब्बे में और अलग-अलग कचरे को अधिकृत कचरा बीनने वालों या कचरा संग्रहकर्ताओं को स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्देश या अधिसूचना के अनुसार सौंपना। इसके अलावा, अपशिष्ट उत्पादकों को उनके द्वारा सड़कों, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजनिक स्थानों या नाली या जल निकायों में ठोस अपशिष्ट फेंकने, जलाने या दफनाने से प्रतिबंधित किया जाता है।

सीपीसीबी समय-समय पर राज्यों में सभी संबंधित विभागों को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार सीवेज और अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत मौजूदा एसटीपी, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के उचित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर रहा है। सीपीसीबी ने सिंचाई में शोधित बहिस्त्राव के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों के साथ-साथ व्यवहार्य औद्योगिक क्षेत्रों में संरक्षण और शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मीठे पानी पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जा सकता है। जल निकायों की बहाली/कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को मार्गदर्शन के रूप में जून, 2019 में सीपीसीबी द्वारा "जल निकायों की बहाली के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश" जारी किए गए हैं और इसे सभी एसपीसीबी/पीसीसी को दिनांक 18.06.2019 और 26.07.2019 के पत्रों के माध्यम से परिचालित किया गया है और इसे सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/NGTMC/Ind-Guidelines-RestWaterBodies-10062019.pdf में भी अपलोड किया गया है।

*****